(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 71/2022

रजिस्ट्रेशन नं0 :– 2022/294

बउनवान

राज0 सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ

(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री नीतेश राठौर उम्र 24 वर्ष पुत्र अशोक राठौर जाति राठौर (विक्रेता एवं मालिक) निवासी बस स्टेण्ड के पास केलवाडा जिला बारॉ (राज.) मैसर्स– जय माता दी किराना स्टोर, मेंन बस स्टेण्ड केलवाडा जिला बारॉ (राज.)
2. मैसर्स– जय माता दी किराना स्टोर, मेंन बस स्टेण्ड केलवाडा जिला बारॉ (राज.)
3. श्री राकेश कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद, पीली कोठी के सामने, बाबू तेली की गली, वार्ड नं0 12 बारॉ (मालिक) मैसर्स– मंगल ट्रेडिंग कम्पनी के.के. सेल्स एजेन्सी के पास, जनता टाकीज बारॉ (राज.)
4. मैसर्स– मंगल ट्रेडिंग कम्पनी के.के. सेल्स एजेन्सी के पास, जनता टाकीज बारॉ (राज.)
5. श्री दिलीप कुमार, हंसराज भाई रावल निवासी अनबिका नगर, विजय हनुमान मन्दिर के पास रामलीला मैदान, पालनपुर बनासकांठा गुजरात 385001 (मालिक) मैसर्स– श्रीमूल डेयरी प्राईवेट लिमिटेड उम्रदासी नदी के ब्रिज के पास कनोदर हाईवे तहसील पालनपुर जिला बनासकाठा उ. गुजरात।
6. मैसर्स– श्रीमूल डेयरी प्राईवेट लिमिटेड उम्रदासी नदी के ब्रिज के पास कनोदर हाईवे तहसील पालनपुर जिला बनासकाठा उ. गुजरात।

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (I I) (V)/51 एवं 58 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स, 2011

उपस्थिति :– 1– श्री गोविन्द सहाय गुर्जर खा.सु.अ. (प्रार्थी)

2– स्वयं उपस्थित (अप्रार्थी)

निर्णय दिनांक 17.01.2023

प्रकरण राजस्थान सरकार जर्ये श्री गोविन्द सहाय गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 16.06.2022 को मैसर्स जय माता दी किराना स्टोर मेन सब स्टेण्ड केलवाडा जिला बारॉ (राज.) पर पहुंचा। वहॉ पर श्री नीतेश राठौर पुत्र अशोक राठौर (विक्रेता एवं मालिक) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.04 18:03:16 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 16[illegible] को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी [illegible] हूँ और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 29.11.2011 के अनुसार खाद्य [illegible] अधिकारी नियुक्त किया गया है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. [illegible] के आदेश कमांक/एच/एफएसएसए/(एफ–28)नोटिफिकेशन/2012/[illegible] दिनांक 01.02.2012 के अनुसार मुझे बास सील संख्या 93 आवंटित की गई एवं श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियन्त्रण राज. जयपुर के आदेश दिनांक 09.06.2022 के द्वारा मुझे कार्यक्षेत्र जिला बारॉ आवंटित किया गया है और जिला बारॉ के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र मे आते है।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहॉ पर खाद्य पदार्थ **शुद्व घी शुद्व आहार 500 एम.एल. मूल गत्ते पैक के** 20 नग लकडी की रेक मे आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुये थे। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ खाद्य पदार्थ **शुद्व घी शुद्व आहार 500 एम एल मूल गत्ते पैक** में मिलावट/मिथ्याछाप का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारॉ द्वारा खाद्य पदार्थ खाद्य पदार्थ खाद्य पदार्थ **शुद्व घी शुद्व आहार 500 एम.एल. मूल गत्ते पैक के 04 मूल गत्ता पेक** वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदे जिसकी कीमत श्री नीतेश राठौर पुत्र अशोक राठौर (विक्रेता एवं मालिक) को 900/– रूपये (अक्षरे नो सौ रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक ने हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **शुद्व घी शुद्व आहार 500 एम एल मूल गत्ते पैक के 04 मूल गत्ता पेक पर ही** लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूने भाग पर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.–1461 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.–1461 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री नीतेश राठौर पुत्र अशोक राठौर (विक्रेता एवं मालिक) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विषलेषक कोटा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म नं0 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे मे बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2022/140 दिनांक 14.07.2022 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 975/PHL/kota/Act/2022/988 दिनांक 28.06.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **शुद्व घी शुद्व आहार 500 एम.एल. मूल गत्ता पैक** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम [illegible] की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.04 18:03:16 IST
Reason: SelfAttested

इस पर प्रकरण दिनांक 01.11.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जर्ये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम [illegible] स्वयं उपस्थित होकर उपस्थिति दी गई है। अप्रार्थी क्रम 5 व 6 को भी रजिस्टर्ड सम्मन से ही तलब किया गया है जिसकी रसीद पत्रावली मे संलग्न है। उनको रूक रूक कर तीन बार आवाज दिलवाई गई उनके अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। प्रकरण में अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 द्वारा जवाब प्रस्तुत न कर अंतिम बहस सुनी जाने हेतु निवेदन करने पर प्रकरण में अप्रार्थीगण का जवाब बन्द किया जाकर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

राजस्थान सरकार जरिये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य पदार्थ पदार्थ **शुद्व घी शुद्व आहार 500 एम.एल. मूल गत्ता पैक** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जॉच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) एवं 2 (v) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम, 2011 की धारा 51 एवं 58 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी कम 1 व 2 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि मेरे द्वारा अप्रार्थी कम 3 व 4 से जरिये बिल माल कय किया गया था। जिसकी प्रति परिवाद मे संलग्न है। अप्रार्थी कम 3 व 4 द्वारा कहा गया कि मेरे द्वारा भी अप्रार्थी कम 5 व 6 से जरिये बिल माल कय किया गया था। जिसका बिल मेरे पास से गुम हो गया है। अतः हमारे विरूद्व खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा प्रस्तुत की गई कार्यवाही निरस्त फरमायी जावे।

प्रार्थी राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा कहा गया कि अप्रार्थी यदि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट कमांक 975/PHL/kota/Act/2022/988 दिनांक 28.06.2022 से असन्तुष्ट था तो अप्रार्थी को जर्ये पत्र सूचित किया जाकर एक माह का समय दिया गया था कि उक्त सेम्पल की पुनः जॉच करवाये किन्तु अप्रार्थी द्वारा उक्त सेम्पल की पुनः जॉच नहीं करवायी गई है।

प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी से वास्ते नमूना जॉच हेतु कय किया गया खाद्य पदार्थ **शुद्व घी शुद्व आहार 500 एम.एल. मूल गत्ते पैक की** खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट कमांक 975/PHL/kota/Act/2022/988 दिनांक 28.06.2022 के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम, 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम, 2011 की धारा 51 एवं 58 के तहत अप्रार्थी कम 3 व 4 को राशि 20,000/— रूपये एवं अप्रार्थी कम 5 व 6 को राशि 20,000/— रूपये पत्रावली मे कुल जुर्माना राशि 40,000/— रूपये (अक्षरे चालीस हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि ई—मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जरिये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे अन्दर एक माह आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे। प्रकरण मे अप्रार्थी कम 5 व 6 के अनुपस्थित रहने के कारण उसको रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सत्य प्रतिलिपी पालनार्थ भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 17.01.2023 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.04 18:03:16 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण आमेटा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
बारॉ (राज.)